सत्र प्रकरण क्रमांक -49/2026 (छ०ग०शासन विरूद्ध अब्दुल रज्ज़ाक सिद्दीकी वगैरह)

Withness No.........**05**.......for...... **अभियोजन साक्षी**....Deposition taken on the...**24/07/2026** day of ..**शुक्रवार**. Withnes's apparent age..**53 वर्ष**...
States on affirmation..**शपथपूर्वक**.........My name is ...**श्रीमती एम० पदमावति**
States on S/W of **एम०श्री निवास** Occupation **सहा०ग्रेड-2 रा०ज०म० बिलासपुर**
Address **विजयापुरम कॉलोनी, थाना-सरकंडा, जिला-बिलासपुर(छ०ग०)..**

परीक्षण प्रारंभ 12.30 बजे

// मुख्य परीक्षण द्वारा श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी अति० लोक अभि० वास्ते-अभियोजन//

01/- वर्तमान में मैं फरवरी 2026 से राजस्व मंडल, बिलासपुर छ०ग० में नकल शाखा में पदस्थ हूं तथा इससे पूर्व एक डेढ़ वर्ष पहले भी मैं वहीं पर पदस्थ थी।

02/- वर्ष 2024 में अंबिकापुर के तहसीलदार कुछ प्रकरणों का नकल मांगे थे तो हमने उन्हें नकल दिया था बाद में पता चला कि उक्त संबंध में थाना-बतौली में रिपोर्ट की गई है तो पुलिस वाले पूछताछ करने ऑफिस में आए थे, तो संबंधित प्रकरण को मुझसे जप्त किए थे, उक्त प्रकरण को रीडर मनीराम नेताम से जप्त किया गया था तथा मेरे सामने जप्ती पत्रक तैयार किया गया था, जप्ती पत्रक **प्र०पी 04** के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

आपत्तिः- बचाव पक्ष की आरे से आपत्ति किया गया है कि प्रकरण में आपत्ति किया गया है कि प्रकरण में उक्त गवाह से जो जप्ती किए गए थे वह इस प्रकरण से संबंधित नहीं

है तथा प्रकरण क्र० 595/2024 का है जिसकी फोटो कॉपी इसमें लगी है अतः जप्ती पत्रक प्रद्रश अंकित करने पर आपत्ति किए है।

अभियोजन का जवाब– अभियोजन की आ ेर से तर्क दिया गया है चूंकि रसीद बुक एक ही है जो प्रकरण क्र 595/24 में संलग्न है तथ्ज्ञा उसमें की गई कार्यवाही की सत्यापित कॉपी थाना प्रभरी के द्वारा इस प्रकार में प्रस्तुत किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

निराकरणः– प्रकरण का अवलोकन किया गया अवलोकन से दर्शित होता है कि अपराध क्र० 100/2024 धारा 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस से संबंधित रसीद व आवेदन को प्रकरण क्र० 595/2024 धारा 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस में जप्त किया गया है तथा इन्हीं आरोपीगणों के संबंध में जप्ती की कार्यवाही की गई है जिसमे सत्यापित प्रति थाना प्रभारी के द्वारा पकरण में संलग्न किया गया है। अतः बचाव पक्ष की आपत्ति निरस्त की जाती है।

04/– प्रकरण में मुझसे नकल की रसीद बुक एवं नकल से संबंधित आवेदन की कॉपी जप्त की गई थी और जप्ती पत्रक **प्र०पी 05** तैयार किया गया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है

आपत्तिः– बचाव पक्ष की आ ेर से आपत्ति किया गया है कि प्रकरण में आपत्ति किया गया है कि प्रकरण में उक्त गवाह के समक्ष जो दस्तावेज मनीराम से जप्त किए गए थे वह इस प्रकरण से संबंधित नहीं है तथा प्रकरण क्र० 595/2024 का है जिसकी फोटो कॉपी इसमें लगी है अतः जप्ती पत्रक प्रदर्श अंकित करने पर आपत्ति किए है।

अभियोजन का जवाब– अभियोजन की आ ेर से तर्क दिया गया है चूंकि रसीद बुक एक ही है जो प्रकरण क्र 595/24 में संलग्न है तथ्ज्ञा उसमें की गई कार्यवाही की सत्यापित कॉपी थाना प्रभरी के द्वारा इस प्रकार में प्रस्तुत किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

निराकरणः– प्रकरण का अवलोकन किया गया अवलोकन से दर्शित होता है कि अपराध क्र० 100/2024 धारा 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस से संबंधित रसीद व आवेदन को प्रकरण क्र० 595/2024 धारा 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस में जप्त किया गया है तथा इन्हीं आरोपीगणों के संबंध में जप्ती की कार्यवाही की गई है जिसमे सत्यापित प्रति थाना प्रभारी के द्वारा पकरण में संलग्न किया गया है। अतः बचाव पक्ष की आपत्ति निरस्त की जाती है।

005/– तथा उसी दिनांक को मणीराम से कुछ दस्तावेजों की जप्ती की गई थी तथा जप्ती पत्रक प्र०पी 06 तैयार किए थे। **प्र०पी 06** के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस के द्वारा मेरा बयान लिया गया था।

नोटः– इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि साक्षी केस डायरी में संलग्न दस्तावेजों में उल्लेखित तथ्यों का समर्थन नहीं कर रहा है,इसलिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत प्रतिपरीक्षण स्वरूप पूछे जा सकने वाले सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गई। अभिलेख का अवलोकन किया गया, विचार बाद अनुमति प्रदान किया गया।

06/– यह कहना सही है कि राजस्व मंडल बिलासपुर छ.ग. में मुख्य प्रतिलिपिकार के पद पर कार्यरत हूं । यह कहना सही है कि जब दिनांक 24.06.2024 को अवकाश से वापस आई थी, उस समय दो माह के अर्जित अवकाश पर गई थी, उस समय मैं अपना प्रभार शेष मनी सोंधिया, सहायक ग्रेड–दो को चार्ज देकर गई थी । यह कहना सही है कि पुलिस वाले को मैंने यह भी बयान दिया गया था कि प्रकरण क्रमांक–एम/16/आर/ब–121/52/2024 पक्षकार अब्दुल रज्ज़ाक सिद्दीकी प्रति भगमतिया का प्रकरण राजस्व न्यायालय में चल रहा था, जिसका प्रकरण न्यायालय से निरस्त

किया गया है, मैं उक्त प्रकरण की नकल को अधिवक्ता सोनू यादव, बिलासपुर को नहीं दी हूं और न ही किसके द्वारा दिया गया है, मुझे जानकारी नहीं है ।

07/- यह कहना सही है कि राजस्व मंडल नकल शाखा का नकल प्रदान करने वाली सील एवं रसीद बुक को थाना कोतवाली अम्बिकापुर के प्रकरण में मेरे द्वारा जप्ती कराया गया था । यह कहना सही है कि उक्त जप्त सील के द्वारा ही राजस्व मंडल के समस्त प्रकरणों का सत्यापित कॉपी दी जाती है ।

//प्रति परीक्षण आरोपी दस्तगीर अंसारी की ओर से श्री अनूप तिवारी अधिवक्ता //

08/- यह कहना सही है कि वर्तमान प्रकरण की घटना की मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि प्र०पी 04, प्र०पी 05 और प्र०पी 06 के अनुसार जप्त किए गए दस्तावेजों को पुलिस वाले किस प्रकरण के संबंध में जप्त किए थे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि पुलिस वाले प्र०पी 04, प्र०पी 05 और प्र०पी 06 की जप्ती की कार्यवाही क्यों कर रहे थे, इसके बारे में मुझे नहीं बताया था। प्र०पी 04, प्र०पी 05 और प्र०पी 06 की जप्ती की कार्यवाही पुलिस वाले शाम को 4.30-5 बजे किए थे। यह कहना सही है कि प्र०पी 04, प्र०पी 05 और प्र०पी 06 की जप्ती की कार्यवाही के समय मेरे अतिरिक्त केवल 2-4 पुलिस वाले वहां मौजूद थे। यह कहना गलत है कि प्र०पी 04, प्र०पी 05 और प्र०पी 06 की जप्ती की कार्यवाही मेरे समक्ष नहीं की गई थी और मुझसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिया गया था।

09/- पुलिस वाले मुझसे मेरा बयान जप्ती दिनांक को ही लिए थे, जिसका दिनांक आज मुझे याद नहीं है। मेरे द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में यह बात नहीं है कि वर्ष 2024 अंबिकापुर की तहसीलदार कुछ प्रकरणों का नकल मांगे थे हमने उन्हें नकल दिया था, बाद मे पता चला कि उस संबंध में थाना बतौली में रिपोर्ट की गई थी। यह

कहना गलत है कि अंबिकापुर के तहसीलदार द्वारा 2024 में नकल मांगने वाली बात सही नहीं है। यह कहना सही है कि मैं राजस्व मंडल में प्रतिलिपि शाखा के अतिरिक्त अभिलेखागार तथा पंजीयन शाखा में भी काम की हूं। यह कहना सही है कि राजस्व मंडल प्रतिलिपि शाखा, अभिलेखागार तथा पंजीयन शाखा में विहित प्रक्रिया अनुसार कार्य होता है। यह कहना सही है कि राजस्व मंडल की प्रतिलिपि शाखा से संबंधित आवेदक को विहित प्रक्रिया अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर मूल प्रकरण आहूत कर उससे नकल तैयार कर नकल प्रदान की जाती है।

10/– यह कहना सही है कि मेरे अवकाश में रहने के दौरान प्रतिलिपि शाखा में शेषमणी सोंधिया के द्वारा प्रतिलिपि शाखा के प्रभारी के रूप में काम किया गया था। यह कहना सही है कि शेषमणी सोंधिया लम्बे समय से राजस्व मंडल में मेरे साथ काम कर रहे थे। यह कहना सही है कि साथ में काम करने के कारण मैं शेषमणी सोंधिया के हस्ताक्षर को पहचानती हूं। यह कहना सही है कि राजस्व मंडल की प्रतिलिपि शाखा से जब भी कोई नकल जारी किया जाता है तब उस नकल में एक बड़ी सील लगाकर उस सील में आवेदन का क्रमांक, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, आवेदक को उपस्थित होने की तिथि, नकल तैयार करने की तिथि, नकल जारी करने की तिथि तथा शुल्क का उल्लेख किया जाता है।

11/– यह कहना सही है कि प्रकरण में संलग्न प्रकरण क्रमांक–एम/16/आर/ब–121/52/2024 पक्षकार अब्दुल रज़्ज़ाक सिद्दीकी प्रति भगमतिया में राजस्व मंडल का आदेश दिनांक 19/06/2024 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति में नकल का क्रमांक 295, आवेदन प्रस्तुति का दिनांक 11/06/2024, आवेदक के उपस्थित होने का दिनांक 13/06/2024, नकल तैयार करने का दिनांक 24/06/2024, नकल जारी करने का दिनांक 24/06/2024 तथा शुल्क 20/–रू० उल्लेखित है।

नोटः- उक्त दस्तावेज के तहसील न्यायालय से जप्तशुदा प्रकरण में संलग्न होने और उसका भाग होने के कारण दस्तावेज पर प्रदर्श करने की अनुमति बचाव पक्ष की द्वारा चाहा गया है।

निराकरणः- चूंकि उक्त प्रकरण में राजस्व न्यायालय के आदेश की फोटोकॉपी लगी है प्रमाणित प्रति नहीं है इसलिए प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता है।

12/- साक्षी ने बताया कि राजस्व मंडल, बिलासपुर का जो आदेश दिनांक 19/06/2024 है, उसमें शेषमणी सोंधिया का हस्ताक्षर होना प्रतीत हो रहा है परन्तु मैं निश्चित नहीं बता सकती कि वह हस्ताक्षर शेषमणी सोंधिया का है।

13/- यह कहना सही है कि उपरोक्त नकल राजस्व मंडल, बिलासपुर की प्रतिलिपि शाखा से विहित प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया है। मैं आज अपने साथ प्रकरण में प्रतिलिपि शाखा राजस्व मंडल, बिलासपुर का रसीद बुक और नकल आवेदन पंजी अपने साथ लेकर नहीं आई हूं। यह कहना सही है कि इस प्रकरण में प्र०पी 05 के अनुसार जप्तशुदा रसीद बुक और नकल आवेदन पंजी इत्यादि संलग्न नहीं है। यह कहना गलत है कि प्र०पी 05 की जप्ती की कार्यवाही मुझसे नहीं की गई है इसलिए प्रकरण में रसीद बुक और नकल आवेदन पंजी संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि आज मैं यह नहीं बता सकती कि राजस्व मंडल, बिलासपुर का आदेश दिनांक 19/06/2024 की नकल हेतु किस-किस व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया था और उक्त नकल किस-किस व्यक्ति को जारी किया गया था।

14/- यह कहना गलत है कि तहसीलदार अंबिकापुर द्वारा राजस्व मंडल, बिलासपुर में वर्तमान प्रकरण के संबंध में कोई भी नकल आवेदन नहीं दिया गया था। यह कहना गलत है कि मैं तहसीलदार अंबिकापुर द्वारा नकल आवेदन देने वाली बात आज झूठ बोल रहा हूं। यह कहना सही है कि प्र०पी 06 के अनुसार मनीराम नेताम से जप्तशुदा गोल रबर सील इत्यादि प्रकरण में संलग्न नहीं है। यह कहना गलत है कि प्र०पी

06 के अनुसार मनीराम नेताम से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई थी, इसी कारण प्रकरण में प्र०पी 06 के अनुसार जप्तशुदा सील वगैरह संलग्न नहीं है। मुझे आज याद नहीं है कि इस प्रकरण के संबंध में किसी भी दस्तावेज को पुलिस थाना बतौली के द्वारा मुझसे जप्त किया गया था कि नहीं।

15/– मैं अधिवक्ता सोनू यादव को पहचानती हूं, जो बिलासपुर जिला न्यायालय में वकालत करते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस प्रकरण से संबंधित नकल सोनू यादव के द्वारा लिया गया था या नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सोनू यादव के द्वारा इस प्रकरण में राजस्व मंडल, बिलासपुर में पैरवी किया गया है कि नहीं। यह कहना सही है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राजस्व मंडल में प्रकरण क्र० एम/16/आर/ब–121/52/2024 पक्षकार अब्दुल रज़ाक सिद्दीकी प्रति भगमतिया में क्या–क्या कार्यवाही हुई और राजस्व मंडल, बिलासपुर द्वारा सुनवाई उपरांत क्या आदेश पारित किया गया। यह कहना सही है कि मनीराम नेताम से जप्तशुदा प्रकरण के अभिलेख और दस्तावेजों का अवलोकन मेरा द्वारा नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि उपरोक्त कारण से जप्तशुदा प्रकरण के संबंध में मैं कुछ भी नहीं बता सकती।

16/– यह कहना सही है कि राजस्व मंडल, बिलासपुर का रीडर है। यह कहना सही है कि राजस्व मंडल, बिलासपुर के न्यायालय से संबंधित प्रकरण उसके अभिरक्षा में रहते है। यह कहना सही है कि मनीराम नेताम कभी–भी राजस्व मंडल में प्रतिलिपि शाखा का प्रभारी नही रहा है। यह कहना सही है कि राजस्व मंडल की प्रतिलिपि शाखा से जारी होने वाले नकल में लगने वाली समस्त सील प्रतिलिपि शाखा के प्रभारी के अभिरक्षा में रहता है। यह कहना गलत है कि प्रतिलिपि शाखा से संबंधित सील मुद्रा प्र०पी 06 के अनुसार जप्त नहीं किए थे। स्वतः कथन है कि मुझसे जप्त किए थे। यह कहना गलत है कि प्र०पी 06 के अनुसार मुझसे प्रतिलिपि शाखा का गोल रबर सील

इत्यादि सील व मुद्रा जप्त नहीं किए थे। मुझे आज याद नहीं है कि मेरे द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में राजस्व मंडल के किसी भी प्रकरण या प्रकरण क्र० के संबंध में कोई बात बताई गई थी या नहीं। स्वतः कथन है कि मेरे द्वारा केवल नकल शाखा संबंधी बात पुलिस का अपने बयान में बताई थी। आज मुझे याद नहीं है कि मेरे द्वारा नकलशाखा संबंधित बात के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं बताया गया था। यह कहना गलत है कि आज मैं जानबूझकर सही बात नहीं बता रही हूं।

//प्रतिपरीक्षण आरोपी अब्दुल रज्ज़ाक की ओर से श्री प्रवीण अग्रवाल अधिवक्ता //

17/– यह कहना सही है कि नकल आवेदन लेते समय आवेदक का हस्ताक्षर लेते हैं तथा रसीद काटकर शुल्क जमा करते हैं तथा रसीद पर रसीद काटने वाले का हस्ताक्षर होता है। यह कहना गलत है कि नकल आवेदन लगाते समय नकल के रसीद पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाते है। यह कहना सही है कि नकल रसीद काटने के बाद प्राप्ति रसीद पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाते है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नकल रसीद की कंडिका 6 में नकल देते समय संबंधित अधिवक्ता व पक्षकार के द्वारा यदि ज्यादा पैसा जमा करा दिया जाता है, तो उसे वापस कर तथा नकल प्रदान कर उसका उल्लेख करते हुए, उस संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर कराया जाता है।

नोटः–चायकाल होने से प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित
एवं दिनांकित 24–07–2026

ह० गवाह

सही/–
(महेश कुमार राज)
सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ०ग०)

सही/–
(महेश कुमार राज)
सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ०ग०)

नोटः– <u>चायकाल पश्चात 3.00 बजे पुनः प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।</u>

18/– यह कहना सही है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा नकल आवेदन लगाए जाने पर उस आवेदन के संबंध में एक ही रसीद कटती है। यह कहना सही है कि पृथक–पृथक आवेदन दिए जाने पर पृथक–पृथक रसीद काटी जाती है।

19/– यह कहना सही है कि राजस्व मंडल, बिलासपुर का कार्यालय दो मंजिला बिल्डिंग में स्थित है, जिसमें लगभग 30–40 रूम है। यह कहना सही है कि प्र०पी 04, प्र०पी 05, प्र०पी 06 की जप्ती की कार्यवाही राजस्व मंडल की किस कार्यालय से जप्त की गई है, उसका उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि राजस्व मंडल, बिलासपुर के कार्यालय में 3 न्यायालय है, जिसमें से दो कार्यरत हैं। यह कहना सही है कि राजस्व मंडल कार्यालय में न्यायालय के अतिरिक्त राजस्व मंडल के अध्यक्ष का अलग चेम्बर है, इसके अलावा अधीक्षक, प्रतिलिपि शाखा, नजारत शाखा व अन्य शाख का अलग–अलग रूम है। अधीक्षक महोदय का कार्यालय प्रतिलिपि शाखा से लगभग 10 मीटर की दूरी पर है।

20/– यह कहना गलत है कि सदस्य राजस्व मंडल के अध्यक्ष के साथ न्यायालय में बैठते हैं। यह कहना सही है कि वाचक रीडर को कहते हैं। सदस्य राजस्व मंडल के पीठासीन अधिकारी का हैं और सदस्य तथा रीडर दोनों अलग–अलग पद हैं।

21/– यह कहना सही है कि राजस्व मंडल में जितने भी प्रकरण ऑनलाइन में दर्ज होते हैं। स्वतः कथन है कि पहले नहीं होता था अब ऑनलाइन दर्ज होता है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रकरण ऑनलाइन कब से दर्ज हो रहा है। स्वतः कथन है कि मैं जब से आई हूं तब से प्रकरण ऑनलाइन दर्ज हो रहा है। यह कहना सही है कि राजस्व मंडल के समस्त प्रकरण वर्ष 2024 में भी ऑनलाइन दर्ज होता है। अब गवाह कहती है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि ऑनलाइन दर्ज राजस्व मंडल के समस्त प्रकरणों को कहीं से भी कोइ व्यक्ति देख सकता है। यह कहना

सही है कि मेरे द्वारा इस प्रकरण के संबंध में कोई आपराधिक प्रकरण किसी भी थाने में दर्ज नहीं कराया है। मुझे इस बात की जानकारी नही है कि राजस्व मंडल बिलासपुर के द्वारा इस प्रकरण के संबंध में किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि नहीं।

22/– यह कहना सही है कि हमारे साथ कोई भी आपराधिक घटना होती है तो उसकी तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते है। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान नहीं लिए थे।

परीक्षण –3.30 बजे।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित
एवं दिनांकित 24–07–2026

ह० गवाह

सही/–
(महेश कुमार राज)
सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ०ग०)

सही/–
(महेश कुमार राज)
सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ०ग०)